विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-18/16

श्री भारत उदयलाल जारोली — आवेदक
द्वारा – भारत पैलेस होटल
जारोली टॉवर, फव्वारा चौक,
नीमच–458441 म.प्र.

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) शहर संभाग, — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
नीमच म.प्र.

आदेश

(दिनांक 23.12.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0337516 श्री भारत उदयलाल जारोली विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) शहर संभाग, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. नीमच में पारित आदेश दिनांक 10.08.2016 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–18/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 आवेदक द्वारा पूर्व में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के सम्मुख दिनांक 25.5.2016 को अपने प्रकरण के संबंध में निम्न दर्शाये दो बिन्दुओं पर राहत प्रदान करने का आवेदन दिया था–

अ सी.सी.बी. के द्वारा अधिक बिलिंग किये जाने बाबत।

ब विद्युत कनेक्शन की संविदा मांग 65 किलोवाट नहीं किये जाने के संबंध में।

04 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.08.2016 के निर्णय में आवेदक के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेशित किया कि :–

अ चूंकि आवेदक मूल परिवाद विद्युत अधिनिमय 2003 की धारा 126 के अंतर्गत प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अतः फोरम के सम्मुख यह परिवाद प्रचलन योग्य नहीं है।

ब फोरम द्वारा परिवादी को उच्चदाब संयोजन प्रदान करने हेतु निर्देशित किया।

05 आवेदक द्वारा इस कार्यालय को दिये गये अभ्यावेदन में निम्न राहत प्रदान करने का अनुरोध किया–

अ मांग आधारित टैरिफ (डिमाण्ड वेस टैरिफ) के अनुसार बिल ना करके दिये गये अधिक बिल को संशोधित करे।

ब उनकी अतिरिक्त संविदा मांग के आवेदन पर स्वीकृति दिलवाई जाए।

स उन्हें टैरिफ के प्रावधान अनुसार लोड फैक्टर एवं पॉवर फैक्टर के विरूद्ध दी जाने वाली छूट भी विद्युत देयकों में नहीं दी गई, इसका भी समायोजन किया जाए।

06 प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदक को उपरोक्त बिन्दु 'स' के संबंध में निर्देशित किया गया कि चूंकि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के सम्मुख प्रस्तुत आवेदन में उनके द्वारा इसका क्लेम नहीं किया गया था, अतः इस अपील अभ्यावेदन में नये बिन्दुओं को नहीं जोड़ा जा सकता। आवेदक को बताया गया कि वे अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक से संपर्क कर विद्युत देयक को सुधरवायें एवं अनावेदक द्वारा विद्युत देयक नहीं सुधारने पर पुनः विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में गलत बिल देने की शिकायत कर निराकरण प्राप्त करें।

07 प्रकरण में दिनांक 30.9.2016 को सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के यहॉ सतर्कता दल द्वारा दिनांक 21.7.2011 को निरीक्षण किया गया जिसमें कि स्वीकृत संविदा भार 35 किलोवाट के विरूद्ध 141 किलोवाट लोड मिला। जिसके कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत प्रकरण बनाया गया। आवेदक द्वारा उक्त सतर्कता दल द्वारा किये गये निरीक्षण को चुनौती देने हेतु एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अतः माननीय न्यायालय से इसका निराकरण आने तक इस अपील पर सुनवाई स्थगित रखी जाए।

08 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि सतर्कता दल द्वारा लोड अधिक पाये जाने पर 106 किलोवाट भार प्रतिमाह अतिरिक्त बिलिंग की जा रही है।

09 सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा यह भी बताया कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन गैर घरेलू श्रेणी में दिया गया था जिसके लिए उन्हें प्रचलित टैरिफ एलवी–2.2 लागू था। इस संबंध में उनके द्वारा विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध किये गये अनुबंध की प्रति भी प्रस्तुत की (ओई–1) जिसके अनुसार उपभोक्ता को संयोजित भार के अनुसार प्रचलित टैरिफ लागू की गई।

10 अनावेदक द्वारा यह भी बताया कि आवेदक द्वारा अपनी संविदा मांग 65 किलोवाट किये जाने हेतु दिनांक 20.5.2016 को आवेदन पत्र दिया था। परन्तु उनके यहॉ संयोजित भार 177 किलोवाट होने के कारण उन्हें उच्चदाब श्रेणी में कनेक्शन लेने के लिए आवेदन देने हेतु निर्देशित किया गया।

11 आवेदक द्वारा चर्चा के दौरान दिनांक 21.11.2016 को आपत्ति ली गई कि उन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 45 के अनुसार बिल नहीं दिये जा रहे तथा उनके द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रभार निर्धारण की पद्धति एवं सिद्धांत तथा विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य विविध प्रभारों की अनुसूची) विनियम, 2005 का ब्यौरा दिया गया जिसके अनुसार उनसे वसूल की गई अतिरिक्त राशि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 (6) के प्रावधान अनुसार उन्हें वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया।

12 उपरोक्त के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 45 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विद्युत सप्लाई के लिए चार्जेस, किये जाने वाले मूल्य, समय–समय पर नियत किये गये टैरिफ जिसका कि निर्धारण राज्य कमीशन द्वारा किया जाएगा, के अनुसार विद्युत उपभोक्ता को देय होगा तथा वितरण लायसेंसी उसके अनुसार ही उपभोक्ता से चार्जेस वसूल कर सकेगा। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 45 में दिये गये प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रभार निर्धारण की पद्धति एवं सिद्धांत तथा विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य विविध प्रभारों की अनुसूची) विनियम, 2005 जारी किये गये

जिसमें कि विभिन्न प्रभार जो कि लायसेंसी द्वारा लिये जाएंगे, के प्रावधानों का उल्लेख है। इस विनियम की कंडिका 1.10 में यह स्पष्ट किया गया है कि –

"आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेशों में यह टैरिफ श्रेणियां एवं उप श्रेणियां तथा उपभोक्ताओं द्वारा देयक प्रभारों को अनुमोदित करता है। आयोग अपने भविष्य में जारी होने वाले टैरिफ आदेशों में उपभोक्ता की विभिन्न श्रेणियों एवं उप श्रेणियों का पुनः वर्गीकरण कर सकता है, अथवा श्रेणियों एवं उपश्रेणियों का पुनः नामांकन अथवा कतिपय श्रेणियों अथवा उपश्रेणियों का संविनियन कर सकता है। आयोग द्वारा भविष्य में जारी किये जाने वाले टैरिफ आदेशों में निम्न दर्शायी गयी सारगर्भित सूची अनुसार अपने उपभोक्ताओं की श्रेणियों एवं उपश्रेणियों का वर्गीकरण कर सकता है।"

जिसके अनुसार आवेदक के विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध समय–समय पर प्रचलित टैरिफ एवं सामान्य निबंधन की शर्तों के प्रावधान के अनुसार बिलिंग की गई है। अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक द्वारा ली गई आपत्ति को खारिज किया जाता है।

13 प्रकरण में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवेदक को दिये गये कनेक्शन वर्ष 2007–08 एवं उसके पश्चात से विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ का अवलोकन किया गया जिसमें कि स्पष्ट है कि वर्ष 2007–08 से लेकर वर्ष 2012–13 तक गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए संयोजित भार आधारित टैरिफ के साथ–साथ जिन उपभोक्ताओं का भार 10 किलोवाट या उससे अधिक है ऐच्छिक मांग आधारित टैरिफ दर लागू की गई थी। वर्ष 2013–14 से एवं उसके पश्चात जारी किये गये टैरिफ आदेश में 20 किलोवाट लोड से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं पर डिमाण्ड आधारित टैरिफ अनिवार्य किया गया। अर्थात वर्ष 2013–14 का टैरिफ आदेश जो कि दिनांक 23 मार्च, 2013 को जारी किया गया था, के अनुसार वर्ष मार्च 2013 से आवेदक के विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध डिमाण्ड आधारित टैरिफ के आधार पर मीटर द्वारा दर्ज वास्तविक संविदा भार अथवा उपभोक्ता की स्वीकृत संविदा भार जो अधिक हो, के अनुसार बिलिंग की गई थी।

14 अतः सतर्कता दल द्वारा दिनांक 21.7.2011 को किये गये निरीक्षण एवं उनके द्वारा पाये गये संयोजित भार के आधार पर की जाने वाली बिलिंग तथा आवेदक द्वारा उपरोक्त की गई बिलिंग के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज याचिका को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 21.7.2011 से दिनांक 23.3. 2013 तक की बिलिंग (जिस दिनांक को विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी किया गया था जिसमें डिमाण्ड आधारित टैरिफ अनिवार्य किया गया था) के विरूद्ध बिलिंग पर लोकपाल द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

15 वर्ष 2013–14 में डिमाण्ड आधारित टैरिफ अनिवार्य कर दी गई थी। तब उसके पश्चात अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध वास्तविक दर्ज होने वाली एम.डी. अथवा उपभोक्ता की स्वीकृत संविदा भार जो अधिक हो, के अनुसार टैरिफ में दिये गये प्रावधान के अनुसार बिलिंग की जानी थी, जबकि अनावेदक द्वारा परिसर में पाये गये अतिरिक्त संयोजित भार 106 किलोवाट की अतिरिक्त बिलिंग की गई जो उचित नहीं है।

16 माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 जारी की गई जो कि 7 अगस्त, 2013 से प्रभावशील थी। इसके अध्याय 3 की कंडिका 3.4 में विभिन्न संविदा मांग के लिए वोल्टेज प्रदाय के संबंध में दिशा निर्देश दिये हैं जो निम्नानुसार है –

Demand based tariff : 150 HP (112 kw) contract demand with no ceiling on connected load subject to payment of supply affording charges based on connected load.

अर्थात ऐसे उपभोक्ता जिन्हें 400 वोल्ट पर निम्नदाब कनेक्शन दिया गया है, को संविदा मांग अधिकतम 112 किलोवाट तक स्वीकृत की जा सकती है, बशर्ते कि उपभोक्ता उसके परिसार में उपलब्ध संयोजित भार के विरूद्ध विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार जमा किये जाएं।

17 अतः वर्ष 2013–14 के लिए जारी टैरिफ आदेश एवं विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधान के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि –

अ आवेदक द्वारा 65 किलोवाट संविदा मांग किये जाने की स्वीकृति अनावेदक द्वारा दी जानी थी बशर्ते कि आवेदक द्वारा उनके परिसर में संयोजित भार 177 किलोवाट के विरूद्ध विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार का भुगतान अनावेदक/अनुज्ञप्तिधारी को किया जाए।

ब अनावेदक द्वारा मांग आधारित टैरिफ लागू होने की दिनांक 23 मार्च 2013 के पश्चात मीटर में दर्ज वास्तविक संविदा भार हेतु टैरिफ में दी गई सामान्य निबंधन की शर्ते एवं नियम के अनुसार विद्युत देयक जारी किये जाने थे। परन्तु अप्रैल 2013 से एवं उसके पश्चात आवेदक के परिसर में सतर्कता दल द्वारा पाये गये अतिरिक्त संयोजित भार 106 किलोवाट के अनुसार अनावेदक द्वारा बिलिंग की गई जो कि प्रचलित प्रावधान के विपरीत है।

स सतर्कता दल द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 21.7.2011 से 7.8.2013 की अवधि में की गई बिलिंग का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के निर्णय के पश्चात अनावेदक द्वारा किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि –

(i) अनावेदक वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारित टैरिफ के प्रावधानों के अनुसार मीटर में दर्ज की गई वास्तविक एम.डी. अथवा उपभोक्ता की स्वीकृत संविदा भार जो अधिक हो, के अनुसार विद्युत देयक पुनरीक्षित किये जाएं, बशर्ते कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधान अनुसार आवेदक द्वारा उनके परिसर में संयोजित भार के विरूद्ध विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार अनावेदक को भुगतान करे।

(ii) आवेदक द्वारा संविदा मांग 65 किलोवाट किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पर निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर अनावेदक उन्हें संविदा भार बढ़ाने की स्वीकृति दे।

18 फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

19 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

20 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल